न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6124

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः 1321/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 483/20206

CNR No–UPGZ010022592026

शाहनवाज पुत्र मौ० हनीफ निवासी अल्वीनगर फातिमा मस्जिद के पास लोनी थाना लोनी जिला गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 334/2018
धारा 394,397,411 भा०द०सं०
थाना लोनी, गाजियाबाद।

11–03–2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **शाहनवाज** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मौ० सद्दाम का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त किया गया हैं।

3– अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 24–03–2018 को सुबह 4.00 बजे उसके पिता रणजीत सिंह व उनके साथ सोनू डयूटी समाप्त करके दिल्ली पुस्ता रोड़ से अपनी मोटर साईकिल से घर आ रहे थे जब मिल्क गांव के पास पहुंचे तभी सफेद रंग की अपाची पर तीन लड़के उसके पिता को ओवर टेक करके रोका और छीना झपटी शुरू कर दिया। विरोध करने पर उनमें से एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर उसके पिता के बायें पैर पर गोली मार दी जिससे वह घायल हो गये और पीछे बैठे व्यक्ति से मारपीट करने लगे तथा उसके पिता की जेब से सात हजार रूपये, मोबाईल फोन व अन्य कागजात ले गये थे तथा सोनू की जेब से चार हजार रूपये व मोबाईल फोन ले गये।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से मुख्य तर्क यह दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया हैं। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुयी है, जो बरामदगी दिखायी गयी हैं वह फर्जी व झूठी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जनता का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी हैं, परन्तु विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.03.16 14:17:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28–09–2019 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। इस स्तर पर जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पिता व उनके साथी सोनू के साथ मारपीट करके लूट की है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सह अभियुक्तगण की जमानत निरस्त हो चुकी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोटर साईकिल सवार तीन व्यक्तियो द्वारा वादी के पिता को रोककर पिस्टल से डरा धमकाकर व गोली चलाकर सात हजार रूपये, एक मोबाईल, सोनू से चार हजार रूपये व अन्य सामान की लूट किया जाना अभिकथित किया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता हैं कि अभियुक्त व सह अभियुक्तगण को थाना खजूरी खास, जिला नोर्थ इस्ट दिल्ली की पुलिस द्वारा दिनांक 02–041–2018 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा व दो जिंदा कारतूस की बरामदगी एवं अभियुक्तगण द्वारा इस मामले की घटना का इकबाल करना अभिकथित किया है। अभियुक्त को मामले के विवेचक द्वारा दिनांक 28–09–2019 वारण्ट–बी पर तलब किया गया हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज हुई है। अभियुक्त से प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित कोई बरामदगी दर्शित नहीं की गई है। मामले के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्त राहुल गुप्ता की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त दिनांक 28–09–2019 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **शाहनवाज** का जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 11–03–2026

(अनिल कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।